

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—92/2023 (2023/208) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. आसुराम उर्फ अशोक आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर
2. कमला पुत्री मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पुत्री मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गीता पुत्री मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बेबी पत्नि उदयराम ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भुपेन्द्र उर्फ गोपाल आत्मज उदयराम ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर
7. भारती पुत्री उदयराम ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगीलाल आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शंकरलाल आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. शान्तिलाल आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपीलाल आत्मज उंकारलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण आत्मज गोवर्धन ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कालु आत्मज लालु ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. कल्याणमल कुम्हार —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 25.07.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काशत की आराजियात संख्या 13 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 581/293 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 589/199 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 590/198 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 595/260 रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 0.82 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 125 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काशत करने, काशत लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा



मुकदमा नम्बर:-92/2023 (2023/208) प्रार्थना पत्र

को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 16.05.2023 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 20.06.2023 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 13 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 581/293 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 589/199 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 590/198 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 595/260 रकबा 0.10 है0 कुल कित्ता 8 कुल रकबा 0.82 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 125 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नेहा घीमा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—नेहा छीपा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—92/2023 (2023/208) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. आसुराम उर्फ अशोक आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर
2. कमला पुत्री मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पत्नि मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गीता पुत्री मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बेबी पत्नि उदयराम ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. भुपेन्द्र उर्फ गोपाल आत्मज उदयराम ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर
7. भारती पुत्री उदयराम ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगीलाल आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शंकरलाल आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. शान्तिलाल आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपीलाल आत्मज उंकारलाल ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण आत्मज गोवर्धन ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कालु आत्मज लालु ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 25.07.2023 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 13 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 212 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 581/293 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 589/199 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 590/198 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 595/260 रकबा 0.10 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.82 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 125 पर दर्ज होकर स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/—रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 25.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा